C/PHCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

(छराविमंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)
CIN No. - U65993CT2008SGC020995
कार्यालय – महाप्रबंधक (मा.सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर

क्रमांक : 01–04/पीडी–तीन/ 1612 /रायपुर, दिनांक 12 AUG 2021

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत **रायपुर, बिलासपुर–रायगढ़, दुर्ग–राजनांदगांव क्षेत्र** के लिए परिचारक (लाईन) के पद पर कार्य करने के इच्छुक निम्नानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की **वेबसाइट www.cspc.co.in पर दिनांक 21.08.2021, समय मध्यान्ह 12:00 बजे से** ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत **रायपुर, बिलासपुर–रायगढ़, दुर्ग–राजनांदगांव क्षेत्र** में लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर कार्यरत संविदा कर्मियों द्वारा भी अधोलिखित अर्हता अनुसार ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है :–

परिचारक (लाईन) के सीधी भर्ती के बैकलॉग सहित प्रवर्गवार पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग
609	162	259	170	**1200**

1. **मूल निवासी** – छत्तीसगढ़ राज्य का मूलनिवासी होना अनिवार्य है।

2. **परिचारक (लाईन) के पद का दायित्व** – परिचारक (लाईन) के पद पर नियुक्त कार्मिक को परिचारक श्रेणी–एक/दो (लाईन) एवं लाईन सहायक श्रेणी–एक/दो को आबंटित कार्यों में सहायता के साथ विद्युत वितरण प्रणाली के निर्माण एवं रखरखाव से जुड़े ऐसे सभी मैदानी कार्य करने होंगे, जिसमें शारीरिक श्रम की भी आवश्यकता होती है, सीढ़ी या अन्य समान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, बिजली के खम्भे खड़े करने हेतु गड्ढ़ा खोदना, खम्भे पर चढ़ना, उपकरणों को लगाना एवं लाईन रखरखाव से जुड़े सभी मैदानी कार्य सम्मिलित होंगे। परिचारक (लाईन) के पद पर नियुक्त कार्मिक को पाली (Shift) में भी कार्य करना होगा। कार्य की प्रकृति को देखते हुए महिला एवं दिव्यांगजन उक्त पद हेतु अपात्र है।

3. **स्टायपेण्ड** – परिचारक (लाईन) के पद का पे–मेट्रिक्स एस–1, रूपये 14,800–33,000/– है। परिचारक (लाईन) के पद पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी। परिवीक्षा में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :–

प्रथम वर्ष – पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,
द्वितीय वर्ष – पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,
तृतीय वर्ष – पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परिवीक्षा अवधि में **उपरोक्त मूलवेतन पर अन्य भत्ते कंपनी के नियमित सेवक** की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षार्थी की अन्य सेवा शर्तें पॉवर कंपनी के परिपत्र क्रमांक 786, दिनांक 05.04.2021 के अधीन होगी।

4. **आयु सीमा** – आयु सीमा की गणना **दिनांक 01.01.2021** के आधार पर निम्नानुसार की जावेगी :–

न्यूनतम आयु सीमा – **18 वर्ष**

अधिकतम आयु सीमा –

अनारक्षित	–	40 वर्ष
अनुसूचित जाति	–	45 वर्ष
अनुसूचित जनजाति	–	45 वर्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग	–	45 वर्ष

परंतु किसी उम्मीदवार को किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिको को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी, जिसके अंतर्गत दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार की आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम कर अनुज्ञात की जाएगी, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु ज्ञात होगी, वह उच्चतर आयु से 03 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. **शैक्षणिक योग्यता** – उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल/छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)/भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (ICSE) अथवा अन्य समकक्ष मंडल/बोर्ड से **आवेदन जमा करने के अंतिम दिनांक तक** कक्षा दसवीं (10वीं) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

6. आरक्षण –

(क) **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण** – पॉवर कंपनीज के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जावेगा। आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम नॉन कीमीलेयर सर्टिफिकेट अथवा केन्द्रीय सेवा हेतु जारी नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा आरक्षित कोटे के तहत नियुक्ति के परिपेक्ष्य में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 13–4/2006/अ.प्र./1–3, दिनांक 29.06.2013 में निहित शर्तों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(ख) **भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण** – भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को नियमानुसार आरक्षण की पात्रता होगी, इस हेतु उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के समय सेवामुक्ति प्रमाण पत्र (Discharge Certificate) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. **आवेदन कैसे करें** – परिचारक (लाईन) की भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव/निर्देश छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की **वेबसाइट www.cspc.co.in** पर उपलब्ध है। उक्त सुझावों को ध्यान से पढ़कर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाऐगें। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डॉक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेगे।

8. **आवेदन शुल्क** – अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को **रूपये 300/– (तीन सौ रूपये मात्र)** एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को **रूपये 200/– (दो सौ रूपये मात्र)** के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। उम्मीदवार द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू.पी.आई. या उपलब्ध कराए गए अन्य डिजिटल माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान किया जावेगा। आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।

9. **आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक** – ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने का **अंतिम दिनांक 20.09.2021, रात्रि 11:59 बजे** तक है।

10. **चयन प्रक्रिया –**

(i) परिचारक (लाईन) के पदों के लिए प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों के अनुसार उम्मीदवारों के कक्षा दसवीं में प्राप्त **कुल अंको के प्रतिशत का 70 प्रतिशत अंक** (दशमलव के बाद दो अंको तक) प्रदान किए जाएंगे।

(ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर कार्यरत ऐसे उम्मीदवार जिन्हे छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत), छत्तीसगढ़ शासन से "शिरोपरी विद्युत अनुष्ठान" की अनुज्ञा (License) प्राप्त हो, ऐसे उम्मीदवारों के ऑनलाईन **आवेदन जमा करने के अंतिम दिनांक के आधार पर**, उनके कार्य अनुभव की गणना करते हुए निम्नानुसार बोनस अंक प्रदान किए जाऐंगे :–

क्रमांक	अनुभव अवधि	बोनस अंक
(1)	01 वर्ष से 03 वर्ष तक	20 अंक
(2)	03 वर्ष से अधिक	30 अंक

लाईन परिचारक (संविदा) कर्मी निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र अपने संभागीय कार्यालयों से प्राप्त कर सकते है, ताकि ऑनलाईन आवेदन के दौरान शिरोपरी अनुज्ञा एवं अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित स्थान में अपलोड किया जा सके।

(iii) उम्मीदवारों के कक्षा दसवीं (10वीं) में प्राप्त **कुल अंको के प्रतिशत का 70 प्रतिशत अंक** तथा उपर्युक्त **उपपैरा 10(ii)** में उल्लेखानुसार **अनुभव के बोनस अंक के योग के आधार** पर निर्मित प्रावीण्य सूची में से विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या के **तीन गुना** उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा।

(iv) दस्तावेजों के सत्यापन में **पात्र** पाए गए उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जावेगी। अर्थात् अपात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

(v) शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व उम्मीदवार का प्रारम्भिक तौर पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जावेगा। उक्त परीक्षण में योग्य पाए जाने पर ही उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा।

(vi) शारीरिक दक्षता परीक्षा उम्मीदवार के स्वयं के जोखिम पर ली जावेगी, जिसके लिए उम्मीदवार को दस्तावेजों के सत्यापन के समय सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। **शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक नहीं दिया जावेगा।**

(vii) शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल **अर्हकारी** परीक्षा है, किन्तु उक्त अर्हकारी परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्नानुसार होगी :–

(क) 20 मिनट में सीढ़ी की सहायता के बिना 13 मीटर ऊँचे खड़े विद्युत पोल पर चढ़ने की परीक्षा।

(ख) 15 मिनट में 25 किलोग्राम वजन की बोरी लेकर आधा (½) किलोमीटर चलने की परीक्षा।

(viii) शारीरिक दक्षता परीक्षा में **सफल** उम्मीदवारों की उपर्युक्त **उपपैरा 10(iii)** में उल्लेखानुसार प्रावीण्य सूची निर्मित की जाऐगी। प्रावीण्य सूची में से छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञापित पदों की पूर्ति की जावेगी।

(ix) अंक प्रतिशत की गणना दशमलव के बाद दो अंको तक की जावेगी। अंक प्रतिशत समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों के जन्म दिनांक के आधार पर वरिष्ठ उम्मीदवार का नाम वरीयता क्रम में उपर रखा जावेगा। अंक प्रतिशत एवं जन्म दिनांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों के नाम के अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उम्मीदवार की वरीयता निर्धारित की जावेगी।

11. अनुबंध एवं सुरक्षा निधि –

(क) परिचारक (लाईन) के पद पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति परिवीक्षा पर की जावेगी। परिवीक्षा पर नियुक्त परिवीक्षार्थी द्वारा पॉवर कंपनी के साथ चार वर्षों के लिए अनुबंध निष्पादित किया जाएगा एवं राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) सुरक्षा निधि के रूप में जमा की जावेगी।

(ख) अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात सुरक्षा निधि वापस कर दी जावेगी।

(ग) यदि परिवीक्षार्थी परिवीक्षा अवधि में पॉवर कंपनी की सेवा से त्याग–पत्र देता है अथवा स्थाईकरण हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात/जब्त कर ली जावेगी।

12. अन्य शर्तें –

(i) उम्मीदवार विज्ञापन में आरक्षणवार पदों की स्थिति का अवलोकन कर ही ऑनलाईन आवेदन करें। सफलतापूर्वक ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, सुधार या सुधार संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।

(ii) उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन करने, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने व सफल होने मात्र से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

(iii) पॉवर कंपनी को विज्ञापित पदो की संख्या में वृद्धि या कमी करने अथवा सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

(iv) परिचारक (लाईन) पद की भर्ती की चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अथवा उम्मीदवार की नियुक्ति के पश्चात यह ज्ञात होता है कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि असत्य एवं फर्जी है तो उसकी उम्मीदवारी अथवा नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त या बर्खास्त कर दी जावेगी।

(v) परिवीक्षार्थी को परिवीक्षा अवधि में पॉवर कंपनी द्वारा संस्थागत प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर पंद्रह दिवस के अंदर परिवीक्षार्थी को शिरोपरी विद्युत अधिष्ठान की अनुज्ञा (License) प्राप्त करने संबंधी अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में परिवीक्षार्थी को स्थाईकरण के लिए अनुपयुक्त मान्य किया जाएगा। ऐसे कार्मिक की सेवाएँ पॉवर कंपनी के नियमानुसार समाप्त कर दी जावेगी।

(vi) चयनित उम्मीदवार की पदस्थापना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पृथक–पृथक क्षेत्रो में की जाएगी। पदस्थापना के उपरांत नियोजन काल में उनके अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(vii) परिचारक (लाईन) के पद पर नियुक्त कर्मियों की सेवाएँ पॉवर कंपनीज में लागू एवं समय–समय पर यथा संशोधित नियम, अधिनियम, परिपत्र, आदेश के अधीन नियंत्रित होगी।

(viii) छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत नियुक्ति को नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस अथवा परिवीक्षार्थी द्वारा पॉवर कंपनी में एक माह का वेतन जमाकर समाप्त किया जा सकेगा।

(ix) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन व शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल या वास्तविक बस किराया, जो न्यूनतम दूरी के मार्ग का हो, पॉवर कंपनी के नियमानुसार टिकट प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा।

(x) विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन(सी) 592/2012, रिट पिटीशन(सी) 593/2012, रिट पिटीशन(सी) 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की प्रवर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

(xi) ऑनलाईन आवेदन हेतु सहायता के लिए **कार्यालयीन दिवस में समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 तक दूरभाष क्रमांक 0771-2574688** के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है।

12/8/21

महाप्रबंधक (मा.सं.)
छ.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर